न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 35

प्रार्थी

प्रभु पुत्र भीमा, जाति–रेबारी, निवासी–नागोलड़ी, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

अप्रार्थीगण

1 वाला पुत्र भीमा, कौम–रेबारी निवासी–नागोलड़ी, तहसील–सांचौर

2 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

3 शाखा प्रबन्धक महोदय राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा पूर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

स्थगन प्रार्थना–पत्र

तारीख रजु :– 03.03.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह कीलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 20.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नागोलड़ी में हमारे पिता भीमा पुत्र हरिराम के नाम की खातेदारी भूमि पुराने खसरा नंबर 67, 68, 69, 114 / 70 जुमले रकबा 103 बीघा 8 बिस्वा भूमि आई हुई थी। जिसका हमारे पिता ने यानि मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता ने अपने जीवनकला में भूमि का विभाजन किया जिसके तहत श्रीमान ए.एस.ओ. साहब जोधपुर पार्टी नंबर 4 के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र पेश कर उक्त भूमि में से आपसी विभाजन कर मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी को लगभग समान रूप से विभाजन कर कब्जा सुपुर्द कर दिया व शेष भूमि अपने पास रखी। उक्त मामले का मूल प्रार्थना–पत्र वास्ते दुरूस्ती रेकर्ड का पेश है जो मजबूत आधारों पर है जिसमें सफल होने की पूर्ण संभावना है तथा प्रार्थना–पत्र के तीन मूलभूत आधार बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर गौर किया जाये तीनों आधार बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 इस विवादित भूमि को आगे मूल प्रार्थना–पत्र के निस्तारण तक बैचार कर सकते है सो ऐसा नहीं करे इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी जारी करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मूल प्रार्थना–पत्र के निस्तारण तक उक्त भूमि ग्राम नागोलड़ी के खसरा संख्या 179 का बैचान अथवा हस्तांतरण नहीं करें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा नागोलड़ी के खसरा नंबर 179 रकबा 0.75 हैक्टेयर भूमि पर किसी प्रकार से बैचान, हस्तांतरण, रहन वगैरह नहीं करे व अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
जिला जालोर